—: ब ना म :—

प्रार्थीगण :—

1 राजस्थान सरकार जरीये श्री तहसीलदार साहब, तिवंरी ।

2 नारायणसिंह पुत्र श्री जयसिंह

3 श्यामसिंह पुत्र श्री जयसिंह

जाति चारण निवासी नेरवा चारणान तहसील तिवंरी ।

उपस्थित —
प्रार्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट.

निर्णय **दिंनाक :—27.01.2021**

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील तिवंरी के ग्राम नेरवा चारणान की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 261 रकबा 04 बीघा 11 बीस्वा , खसरा नम्बर 263 रकबा 3 बीघा 17 बीस्वा, खसरा नम्बर 265 रकबा 9 बीघा 9 बीस्वा कुल 17 बीघा 17 बीस्वा भूमि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त भूमि प्रार्थी के पिता जयसिंह के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि थी । जिनके फौत होने पर उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे कर्मचारियो की भूल से ओमप्रकाश पुत्र श्री जयसिंह दर्ज कर दिया जो आज दिन भी राजस्व रेकर्ड मे यथावत दर्ज है । इसी ग्राम बाडी के खसरा नम्बर 222 रकबा 00 बीघा 5 बीस्वा, व खसरा नम्बर 223 रकबा 32 बीघा 18 बीस्वा मे प्रार्थी की वल्दियत ओमदान पुत्र श्री जयसिंह कौम चारण सा. नेरवा चारणान खातेदार दर्ज है जो कि बिल्कुल सही दर्ज है । राजस्व कर्मचारियो की भूल

गलत इन्द्राज हो गया है जो एक लिपीकिय सदभाविक भूल है । प्रार्थी का नाम मप्रकाश की जगह ओमदान दर्ज करना चाहिये था । जिसे प्रार्थी राजस्व रकर्ड रुस्त करवा कर शुद्ध करवाने का अधिकारी है । उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि ओमप्रकाश पुत्र श्री जयसिंह नाम के किसी व्यक्ति का कब्जा काश्त नही है और न कभी रहा है । इस वल्दियत का गांव मे कोई व्यक्ति निवास नही करते है । परोक्त खसरान की भूमि मे प्रार्थी के नाम गलत दर्ज किया गये है जिससे प्रार्थी पनी खातेदारी भूमि के विकाश कार्य करवाने मे कठीनाई होती है इसलिए प्रार्थी अपने जस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे अपने नाम शुद्ध करवाना चाहते है यदि शुद्ध किया जाता है । अप्रार्थी या अन्य किसी को कोई नुकसान नही होगा बल्कि राजस्व रेकर्ड शुद्ध होगा। र्थी की सकुनत के लिए मतदाता ,मूल निवास प्रमाण पत्र, अन्य पिछडी जाति प्रमाण त्र ,राशन कार्ड , स्कुल की मार्कसीट, पास बुक की नकल, सर्विस की केन्द्रीय पेंशन खा कार्यालय भारत सरकार का प्रमाण पत्र आदि की फोटो प्रतिये प्रार्थना पत्र के ाथ सलंग्न है । अन्त मे निवेदन किया है कि ग्राम नेरवा चारणान की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 261 रकबा 04 बीघा 11 बीस्वा , खसरा नम्बर 263 रकबा 3 बीघा 17 बीस्वा, खसरा नम्बर 265 रकबा 9 बीघा 9 बीस्वा कुल 17 बीघा 17 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के नाम ओमप्रकाश पुत्र श्रीद जयसिंह को दुरूस्त कर उसके स्थान पर ओमदान पुत्र श्री जयसिंह दर्ज किया जाकर शुद्ध किया जावे।

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को नोटिश जारी किया गया । अप्रार्थी की तरफ से सरकारी पैरोकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई । सरकारी पेरोकार ने अप्राथी से रिपोर्ट तलब कर न्यायालय मे पेश की जो सामिल पत्रावली की गई । दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव तहसीलदार तिवंरी की जांच रिपोर्ट मे ग्राम नेरवा चारणान की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 261 रकबा 04 बीघा 11 बीस्वा , खसरा नम्बर 263 रकबा 3 बीघा 17 बीस्वा, खसरा नम्बर 265 रकबा 9 बीघा 9 बीस्वा कुल 17 बीघा 17 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज खातेदार का नाम ओमप्रकाश पुत्र श्री जयसिंह दर्ज है जिसके स्थान पर ओमदान पुत्र श्री जयसिंह शुद्ध किया जाता है तो सह खातेदारो को कोई आपत्ती नही है । उपरोक्त विवेचन व दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

सहायक कलेक्टर, बावड़ी

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मे वर्णित नेरवा चारणान की सरहद मे खेत खसरा
बर 261 रकबा 04 बीघा 11 बीस्वा , खसरा नम्बर 263 रकबा 3 बीघा 17 बीस्वा,
सरा नम्बर 265 रकबा 9 बीघा 9 बीस्वा कुल 17 बीघा 17 बीस्वा भूमि के राजस्व
र्ड मे प्रार्थी की वल्दियत ओमप्रकाश पुत्र श्री जयसिंह को दुरूस्त कर उसके स्थान
ओमदान पुत्र श्री जयसिंह दर्ज किया जावे । तहसीलदार तिवंरी को निर्णय की
लना हेतु तहरीर जारी की जावे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे । पत्रावली
सल सुमार की जाकर बाद आवश्यकता दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर औसिया
सहायक कलेक्टर, औसिया

निर्णय आज दिंनाक 27.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया
या ।

सहायक कलेक्टर औसिया
सहायक कलेक्टर, औसिया

न्यायालय सहायक कलेक्टर औसिया जिला जोधपुर